

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 964/2011/चुरु

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड-तृतीय, रतनगढ़, चुरु।
बनाम

.....अपीलार्थी

मैसर्स उमा ग्रीट उद्योग, रणधीसर चुरु।

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी.पी.ओझा,

उप राजकीय अधिवक्ता

.....अपीलार्थी की ओर से

श्री वी.के.पारीक, अधिवक्ता

.....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 03/01/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी-विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 351/आरवेट/चुरु/2009-10 में पारित आदेश दिनांक 13.10.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड तृतीय, मुख्यालय रतनगढ़ चुरु (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.03.2009 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 18 के तहत पूंजीगत माल पर क्लेम किये गये आई.टी.सी. रूपये 21,920/- को अस्वीकार करने, कर मुक्त माल की बिक्री को अस्वीकार करने पर आरोपित कर रूपये 19,440/- चै.पो. पर जमा राशि रूपये 45,000/- का समायोजन नहीं देने, धारा 64 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति रूपये 2000/- एवं धारा 55 के अन्तर्गत आरोपित ब्याज रूपये 12,408/- को अपास्त किया है। जिसके विरुद्ध विभाग द्वारा यह अपील अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड में प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत त्रैमासिक विवरणियां वित्तीय वर्ष 2006-07 के अवलोकन पर कर निर्धारण अधिकारी ने पाया कि प्रत्यर्थी ने वित्तीय वर्ष 2006-07 के प्रथम त्रैमास की विवरणी 3 दिवस देरी से, द्वितीय त्रैमास की विवरणी 11 दिवस देरी से, तृतीय त्रैमास की विवरण 1 दिन देरी से व चतुर्थ त्रैमास की विवरणी 16 दिन देरी से पेश की है। वित्तीय वर्ष 2006-07 के लिये व्यापार एवं लाभ हानि खाता पेश नहीं किया है जो अधिनियम की धारा 64 का उल्लंघन है। चूंकि प्रत्यर्थी व्यवसायिक कोई नई कामोडिटी का निर्माण नहीं करता है जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कमीशनर ऑफ सैल्स टैक्स यू.पी. बनाम लाल कुआं स्टोन क्रेसर (प्रा.)लि० एवं अमन मार्बल इण्ड० प्रा०लि० बनाम कलक्टर सेन्द्रल एक्साइज के प्रकरणों में निर्णित किया है कि कोई वस्तु किसी प्रोसेसिंग के बाद वाणिज्यिक तौर पर अलग नहीं रहती है तो उसको निर्माण नहीं माना जाता है। अतः प्रत्यर्थी को धारा 18(1) सपठित धारा 2(7) के अन्तर्गत पूंजीगत माल की खरीद पर आगत कर मुजरा स्वीकृत नहीं है। इसके बावजूद प्रत्यर्थी ने वित्तीय



लगातार.....2

वर्ष 2006-07 के दौरान पूंजीगत माल की खरीद पर आगत कर मुजरा रूपये 21920/- का गलत क्लेम किया है, जो कि अधिनियम की धारा 18(1) सपटित धारा 61(2) का स्पष्ट उल्लंघन है। सशक्त अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी को नोटिस जारी करते हुए उपरोक्त मांग राशियां कायम की गईं। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध प्रत्यर्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी ने प्रत्यर्थी की अपील स्वीकार करते हुए मांग राशियों को अपास्त कर दिया।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी-विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरुद्ध है एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन किया एवं कथन किया कि सशक्त अधिकारी द्वारा आरोपित कर, ब्याज एवं शास्ति अविधिक होने के कारण अपास्तनीय है। सशक्त अधिकारी ने प्रत्यर्थी द्वारा पूंजीगत सामान की खरीद पर किये गये आई.टी.सी. क्लेम रूपये 21,920/- को यह मानते हुए रिवर्स कर दिया कि माननीय उच्चतम न्यायालय, के निर्णय कमीशनर ऑफ सैल्स टैक्स यू.पी. बनाम लाल कुआं स्टोन क्रेसर (प्रा.)लि० एवं अमन मार्बल इण्ड० प्रा०लि० बनाम कलक्टर सेन्ट्रल एक्साइज के निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में वह निर्माणकर्ता नहीं है। परन्तु राजस्थान एवं विशेष रूप से प्रत्यर्थी के प्रकरण पर यह निर्णय सही लागू नहीं होता है। प्रत्यर्थी स्टोन, ग्रीट एवं बिल्डिंग मेटेरियल का निर्माता है एवं वह कच्चे सामान एवं पूंजीगत माल की खरीद पर आई.टी.सी. क्लेम करने के लिए सक्षम है। विद्वान अभिभाषक ने यह भी तर्क दिया कि सशक्त अधिकारी ने माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय लाल कुआं स्टोन सप्लायर्स 2000(3) एसटीसी 525 की गलत ढंग से व्याख्या करते हुए प्रत्यर्थी की यूनिट को विनिर्माता नहीं माना है तथा क्लेम किये गये आई.टी.सी. को रिवर्स किया है, जबकि माननीय उच्च न्यायालय ने कमीशनर ऑफ सैल्स टैक्स यू.पी. बनाम लाल कुआं स्टोन क्रेसर (प्रा.)लि० की व्याख्या के पश्चात मै. प्रकाश उद्योग 126 एसटीसी, 372 एवं वा.क.अ. राजसमन्द बनाम सुराणा मिनरल्स प्रा.लि. 13 एसटीओ, 210 के प्रकरण में अपना निर्णय देते हुए उसके द्वारा किये जा रहे कार्य को निर्माण की श्रेणी में माना है। प्रत्यर्थी द्वारा स्टोन ग्रीट एवं बिल्डिंग स्टोन का निर्माण कार्य किया जाता है। अतः वह उपरोक्त निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में निर्माणकर्ता की श्रेणी के अन्तर्गत आता है। इसी प्रकार के एक अन्य निर्णय सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट तृतीय, वृत-बी, जयपुर बनाम मै. खटाणा स्टोन प्रा.लि. (2008) टैक्स अपडेट, वोल्यू 22 पेज 135 में माननीय राजस्थान कर बोर्ड अजमेर ने स्टोन से गिट्टी बनाने को नई वस्तु का निर्माण माना है। सशक्त अधिकारी ने माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर के इन निर्णयों का सही ढंग से अध्ययन



लगातार.....3

नहीं करते हुए प्रत्यर्थी द्वारा क्लेम किये गये आई.टी.सी. को रिवर्स किया है तथा इसे अदेय मानते हुए धारा 55 के अन्तर्गत रूपये 6,576/- का ब्याज भी अधिरोपित किया है, जो विधि विरुद्ध है।

विद्वान अभिभाषक ने यह भी तर्क दिया कि प्रत्यर्थी रीको के अन्तर्गत स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज एवं राजस्थान खादी बोर्ड के अधीन स्टोन ग्रीट इकाई के रूप में पंजीकृत है तथा सशक्त अधिकारी द्वारा उसे स्टोन ग्रीट एवं बिल्डिंग स्टोन का निर्माणकर्ता एवं विक्रेता मानते हुए पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया है। अतः सशक्त अधिकारी द्वारा यह विनिश्चय किया जाना पूर्णतया गलत है कि यह इकाई निर्माणकर्ता नहीं होने के कारण चाहा गया आई.टी.सी. स्वीकार योग्य नहीं है। विद्वान अभिभाषक ने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी द्वारा रूपये 228255/- की खादी उत्पाद की कर मुक्त बिक्री की गई थी जिसे भी सशक्त अधिकारी ने अस्वीकार करके कर रूपये 19,440/- एवं इस पर धारा 55 के अन्तर्गत ब्याज रूपये 5,832/- अधिरोपित कर दिया, जो कि नियम विरुद्ध था, क्योंकि प्रत्यर्थी खादी बोर्ड के अधीन पंजीकृत है तथा निर्माणकर्ता इकाई होने के कारण उसे निर्मित माल की बिक्री पर कर से छूट प्राप्त है। अतः अधिरोपित कर एवं ब्याज नियम विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य थे। सशक्त अधिकारी ने प्रत्यर्थी के विभिन्न तिथियों में चै.पो. पर संग्रहित रूपये 45,000/- का भी मूल रसीदें पेश करने पर भी समायोजन नहीं दिया जो कि उचित नहीं था। सशक्त अधिकारी ने प्रत्यर्थी के विरुद्ध धारा 64 के अन्तर्गत रूपये 2000/- की शास्ति यह मानते हुए अधिरोपित की है कि उसके द्वारा ट्रेडिंग एकाउन्ट एवं लाभ-हानि खाता देरी से पेश किये गये। यह अनुचित है क्योंकि प्रत्यर्थी को कानून की जानकारी नहीं होने के कारण वह निर्धारित समय पर दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। अतः अधिरोपित शास्ति अविधिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः उन्होंने अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत समस्त न्यायिक दृष्टान्तों का हवाला देते हुए प्रस्तुत अपील को खारिज करने का निवेदन किया।

6. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन करने तथा उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया। उक्त अपील में मुख्य विवादित बिन्दु यह है कि पत्थर को तोड़कर गिट्टी बनाना निर्माण की परिभाषा में आता है या नहीं? कर निर्धारण अधिकारी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय कमीशनर ऑफ सेल्स टैक्स यूपी बनाम लाल कुआं स्टोन केशर प्रा.लि. में दिये गये निर्णय के आधार पर उक्त प्रक्रिया को निर्माण नहीं माना है फलस्वरूप प्रत्यर्थी द्वारा क्रीत पूंजीगत माल पर धारा 18(1) के प्रावधानों के अनुसार इस पर आगत कर अनुमत नहीं है एवं तदनुरूप दावा किये गये आगत कर मुजरे को अस्वीकार कर टैक्स रिवर्स किया है। इस सम्बन्ध में विभिन्न न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्णयों का अवलोकन समीचीन होगा।

[2012] 13 Sales Tax Today 210 HIGH COURT OF RAJASTHAN JODHPUR CTO Rajsamand Vs M/s Surana Minerals Pvt. Ltd Date 14.02.2002 "It may be recalled that this distinction has also been noticed by the Supreme Court in Commissioner of Sales Tax U.P. Vs Lal Kunawa Stone Crusher (P.) Ltd. [200] 118 STC - 287. The Court was considering

लगातार.....4

the question of manufacturing process where taxable item stated in the schedule of rates was stone. The Court considering the decision given by the Karnataka Sales Tax Tribunal in Reliable Rocks Builders and Suppliers Vs. State of Karnataka [1982] 49 STC 110 wherein the activity of converting stone into marketable commodity was held to be manufacture was not over-ruled, but was distinguished on the basis of entry in the concerned schedule of rates. The Court explained referring to Karnataka decision that it turned on the concept of consumption of goods for the purpose of bringing into existence new goods and said -


"In that case the Court was not concerned with an entry of the nature with which we are concerned in the present case.

In the case before the Supreme Court where goods mentioned in the schedule of rates was stone. In the context of said entry the Court said that stone, as such, and other articles of stones are all similar nature though by size they may be different. The entry with which the Supreme Court was concerned was Stone and any article made of stone Obviously. if stone as stone has attracted the tax in the first point, subsequent sale of article made of that stone would fall in the same category of the schedule."

उपरोक्तानुसार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार पत्थर से गिट्टी बनाना निर्माण कार्य है। लाल कुआं के मामलें में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सम्बन्धित उत्तरप्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम की अनुसूची की प्रविष्टि की व्याख्या का मामला विचाराधीन था, जिसके तथ्य राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 के तहत विहित प्रावधानों से भिन्न है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत मैसर्स खटाणा स्टोन प्रा.लि. (2008) 22 टैक्स अपडेट 135 व राजस्थान टैक्स बोर्ड द्वारा पारित इस सन्दर्भ में निर्णय भी दृष्टव्य हैं जिनमें पत्थर से गिट्टी बनाने को विनिर्माण माना गया है। अतः प्रत्यर्थी को पूंजीगत माल की खरीद पर आगत कर का मुजरा देय होगा तथा दावा किये गये आगत कर के मुजरे पर विद्वान अपीलीय अधिकारी के आदेश में कोई त्रुटि नहीं पाते है। अन्य बिन्दुओं पर विद्वान उप राजकीय अभिभाषक अन्यथा तर्क प्रस्तुत नहीं कर पाये अतः इस बिन्दु पर भी अपील अस्वीकार की जाती है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के अनुसार विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

आदेश प्रसारित गया।


3.1.2013
(मदन लाल)
सदस्य